

इसे वेबसाइट www.govtpress.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 9]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 28 फरवरी 2025—फाल्गुन 9, शक 1946

भाग ४

विषय—सूची

(क)	(1) मध्यप्रदेश विधेयक,	(2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,	(3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक.
(ख)	(1) अध्यादेश,	(2) मध्यप्रदेश अधिनियम,	(3) संसद के अधिनियम.
(ग)	(1) प्रारूप नियम,	(2) अन्तिम नियम.	

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अन्तिम नियम

महिला एवं बाल विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 21 फरवरी 2025

क्र. 207-1799098-24-पचास-2.— राज्य शासन द्वारा विपरीत परिस्थितियों में संघर्ष करते हुए समाज सेवा करने वाली महिलाओं को रानी दुर्गावती के नाम से पुरस्कार दिये जाने हेतु राज्य शासन द्वारा निम्नलिखित नियम बनाए जाते हैं :-

“रानी दुर्गावती पुरस्कार नियम”

प्रस्तावना एवं उद्देश्य-

अनेक महिलाएं समाज में रहते हुये विपरीत परिस्थितियों में संघर्ष करते हुए समाज सेवा के कार्य करती हैं, किन्तु उनके द्वारा किये गये कार्य प्रकाश में नहीं आ पाते हैं, जिससे न उन्हें पर्याप्त प्रोत्साहन मिल पाता है और न अन्य महिलाओं को भी ऐसा कुछ करने की प्रेरणा। यदि ऐसी महिलाओं के कार्यों को पर्याप्त सराहना और पारितोषिक मिले तो न केवल उन्हें अपितु उन जैसी कई महिलाओं को समाज सेवा में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु प्रोत्साहन मिल सकता है और वे आगे आ सकती हैं। इस पुनीत कार्य में महिलाओं की वैयक्तिक सेवा और योगदान को प्रोत्साहित करने, मान्यता देने एवं प्रतिष्ठा मंडित करने के उद्देश्य से राज्य शासन, रानी दुर्गावती के नाम से विपरीत परिस्थितियों में संघर्ष करते हुए समाज सेवा का कार्य करने वाली महिलाओं को राज्य स्तरीय पुरस्कार देगी।

इस पुरस्कार के विनियमन एवं प्रक्रिया निर्धारण हेतु निम्नानुसार नियम बनाएं जाते हैं-

1. शीर्षक :-

ये नियम रानी दुर्गावती पुरस्कार नियम 2024 कहलाए जायेंगे। ये नियम सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य में, मध्यप्रदेश राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावशाली होंगे।

2. पात्रता:-

2.1 मध्यप्रदेश की मूल निवासी से तात्पर्य मध्यप्रदेश शासन द्वारा मूल निवासी की पात्रता हेतु निर्धारित शर्तों की पूर्ति करने वाली महिला से है।

- 2.2 महिला द्वारा विपरीत परिस्थितियों अर्थात् महिला अत्यन्त गरीब, विकलांग (40% से अधिक) एकल महिला, किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त, रेप, एसिड, दहेज, घरेलू हिंसा से पीड़ित अथवा अन्य कोई विपरीत स्थिति में संघर्ष करते हुये समाज सेवा का कार्य किया गया हो।

3. पुरस्कार का स्वरूप:-

यह पुरस्कार, सम्मान राशि रूपये दो लाख नगद एवं पुरस्कार के प्रतीक चिन्ह से युक्त प्रशंसा पत्र के रूप में दिया जायेगा। पुरस्कार मध्यप्रदेश राज्य में विपरीत परिस्थितियों में संघर्ष करते हुए समाज सेवा के क्षेत्र में कार्य करने वाली महिला को प्रत्येक वर्ष राज्य शासन द्वारा नियुक्त चयन समिति की ओर से चयन करने पर दिया जायेगा।

4. चयन समिति का गठन:-

4.1 राज्य शासन माननीय विभागीय मंत्रीजी के अनुमोदन से एक चयन समिति का गठन करेगा जिसमें 05 सदस्य मनोनीत किये जायेंगे।

4.2 चयन समिति में 03 शासकीय सदस्य होंगे जो कि, प्रमुख सचिव/सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, आयुक्त महिला एवं बाल विकास एवं प्रबंध संचालक म.प्र. महिला वित्त विकास निगम रहेंगे। अशासकीय सदस्य माननीय विभागीय मंत्री जी के आदेश से समाज सेवा में उत्कृष्ट कार्य करने वाली 02 समाज सेवी महिलाएँ चयन समिति में सदस्य होंगी।

4.3 कोरम के लिए कम से कम 03 सदस्यों की सहभागिता अनिवार्य होगी जिसमें 01 अशासकीय सदस्य अनिवार्य होगा।

4.4 आयुक्त महिला एवं बाल विकास चयन समिति की बैठक का संयोजन करेंगे।

5. चयन समिति की शक्तियां-

5.1 प्रत्येक वर्ष के पुरस्कार के लिए अलग-अलग चयन समिति गठित की जायेगी।

5.2 चयन समिति के द्वारा किए गए चयन पर शासन विचार करेगी।

5.3 पुरस्कार के चयन के संबंध में कोई आपत्ति अथवा अपील स्वीकार नहीं की जायेगी।

5.4 प्रत्येक वर्ष के पुरस्कार के लिए एक ही महिला का चयन होगा।

- 5.5 चयन समिति की बैठक का सम्पूर्ण कार्यवाही विवरण गोपनीय रहेगा एवं उसके द्वारा की गई लिखित अनुशंसा के अलावा बैठक के दौरान हुए विचार-विमर्श का कोई लिखित अभिलेख नहीं रखा जायेगा।
- 5.6 चयन समिति के माननीय अशासकीय सदस्यों को चयन प्रक्रिया के लिए आमंत्रित किये जाने पर उन्हें राज्य के वरिष्ठ अधिकारी ग्रेड-ए के समकक्ष रेल यात्रा की श्रेणी में यात्रा करने तथा भत्ता प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त होगा।

6. चयन की प्रक्रिया:-

पुरस्कारों के लिये उपयुक्त महिलाओं के चयन की प्रक्रिया निम्नानुसार रहेगी:-

- 6.1 जिस वर्ष के लिए पुरस्कार प्रदान किया जाना है, उस वर्ष की प्रविष्टियां आमंत्रित करने हेतु आयुक्त, महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा अक्टूबर माह में 03 प्रमुख प्रादेशिक समाचार-पत्र/पत्रिका में राज्य शासन (महिला एवं बाल विकास विभाग) की ओर से विज्ञापन प्रकाशित कराया जायेगा। प्रविष्टियां प्रस्तुत/प्रेषित करने के लिए कम से कम एक महीने का समय दिया जायेगा। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त प्रविष्टियां विचार के लिए मान्य नहीं की जायेंगी, परन्तु विज्ञप्ति जाहिर करने आदि के समय में राज्य शासन आवश्यक होने पर परिवर्तन कर सकेगा।
- 6.2 उपरोक्तानुसार पात्रता रखने वाले महिला स्वयं, महिला से सुपरिचित व्यक्ति अथवा संगठन द्वारा राज्य स्तरीय पुरस्कार के लिये प्रविष्टि जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग को निर्धारित समय-सीमा में प्रस्तुत करेंगे।
- 6.3 जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग प्रस्तावों का पूर्ण परीक्षण कर कलेक्टर की स्पष्ट अनुशंसा के साथ प्रस्ताव आयुक्त महिला एवं बाल विकास को भेजेंगे।
- 6.4 प्रस्ताव में विपरीत परिस्थितियों में संघर्ष करते हुए समाज सेवा करने वाली महिला का पूर्ण परिचय संलग्न किया जायेगा।
- 6.5 गरीबी रेखा प्रमाण पत्र अथवा कलेक्टर द्वारा जारी गरीब है का सत्यापन (यदि गरीबी रेखा का प्रमाणपत्र नहीं है तो), विकलांगता प्रमाणपत्र, गंभीर रोग से पीड़ित होने/रहने का चिकित्सक का प्रमाणपत्र, किसी अपराध से पीड़ित होने पर

- संबंधित थाना/ जाँच रिपोर्ट, संबंधित घटना का तथ्यात्मक पूर्ण परिचय प्रस्ताव में प्रस्तुत किया जायेगा।
- 6.6 प्रमाण स्वरूप अखबार की कतरन /छायाचित्र/एफ.आई.आर./एम.एन.सी./सोनोग्राफी/सी.सी.टी.वी. कैमरा आदि की प्रति।
- 6.7 यदि अन्य कोई कार्य किया गया हो तो उसका तथ्यात्मक विवरण।
- 6.8 चयन होने की दशा में पुरस्कार ग्रहण करने के बारे में संबंधित महिला की सहमति।
- 6.9 चयन के लिए योजना में निर्दिष्ट मापदण्डों के अलावा कोई शर्तें लागू नहीं होगी।
- 6.10 एक बार प्रस्तुत प्रविष्टियां एक बार के लिए ही विचारणीय होगी।
- 6.11 प्रस्ताव पर स्पष्ट तौर पर पुरस्कार का नाम लिखा जाना होगा।
- 6.12 प्रविष्टि में अन्तर्निहित तथ्यों/जानकारी के अलावा अन्य पश्चात्कर्ती पत्र व्यवहार पर पुरस्कार के संबंध में कोई विचार नहीं किया जायेगा।
- 6.13 प्रविष्टि में दिए गए तथ्यों/निष्कर्षों/प्रमाणों का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व प्रस्तुतकर्ता का रहेगा, इस संबंध में राज्य शासन को यह अधिकार होगा कि जहाँ वह आवश्यक समझे अपने सूत्रों से दिए गए तथ्यों/निष्कर्षों/प्रमाणों की पुष्टि कर सके।
- 6.14 निर्धारित तिथि तक प्राप्त समस्त प्रविष्टियों की प्राप्ति के एक सप्ताह की अवधि में संबंधित पुरस्कार वर्ष की पंजी में निम्नांकित प्रपत्र में पंजीकृत किया जायेगा।

प्रपत्र

पंजीयन क्रमांक	विपरीत परिस्थितियों में संघर्ष करते समाज सेवा करने वाली महिला का नाम	प्रविष्टि प्रस्तुतकर्ता का नाम एवं पता	प्राप्त कागजातो, की कुल पृष्ठ संख्या	कलेक्टर की अनुशंसा	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6

7. चयन के मापदण्ड -

- 7.1. समाज सेवा का कार्य क्षेत्र मध्यप्रदेश होगा।
- 7.2. समाज सेवी मध्यप्रदेश की मूल निवासी होनी चाहिए।
- 7.3. समाज सेवी महिला द्वारा विपरीत परिस्थितियों (अत्यन्त गरीब, विकलांग (40 प्रतिशत से अधिक), किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित, रेप, एसिड, दहेज, घरेलू हिंसा आदि से पीड़ित अथवा अन्य कोई विपरीत परिस्थिति) में संघर्ष करते हुए समाज सेवा कार्य किया जा रहा हो।
- 7.4. समाज सुधार, सामाजिक उत्थान व सामाजिक विकास के कार्य जैसे- स्वास्थ्य, शिक्षा, साक्षरता, सामाजिक कुरीतियों (बाल विवाह, दहेज प्रथा आदि) को समाप्त करने, बाल मजदूरी उन्मूलन, भिक्षावृत्ति उन्मूलन, वैष्यावृत्ति उन्मूलन, नशा मुक्ति, पर्यावरण संरक्षण आदि कार्य क्षेत्र।
- 7.5. आवेदिका (महिला) की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।
- 7.6. शासकीय एवं अर्द्धशासकीय वेतन भोगी पुरस्कार के लिए पात्र नहीं होंगे।
- 7.7. पुरस्कार के लिए भूतकालिक एवं वर्तमान दोनों प्रकार के कार्यों का आंकलन आवश्यक है। सेवा कार्य में महिला की सक्रीयता वर्तमान में भी रहना आवश्यक है, इस हेतु इस बात का प्रमाण भी प्रस्तुत करना होगा।
- 7.8. सेवा के क्षेत्र में समाज सेवी के योगदान का संबंधित क्षेत्र/ वर्ग में व्यापक प्रभाव परिलिखित होना चाहिए।
- 7.9. महिला के उसी कार्य को लिया जावेगा जिस कार्य से वह सीधे तौर पर जुड़ी थी और वर्तमान में भी जुड़ी है।
- 7.10. परम्परागत तरीकों से अलग हटकर सेवा के क्षेत्र में नवाचार अर्थात् नई पद्धति/ नए क्षेत्र को किस सीमा तक और कितनी सघनता से अपनाया गया है, को भी देखा जायेगा।

- 7.11. किसी स्वैच्छिक संस्था से संबद्ध समाज सेवी महिला के उसी कार्य पर पुरस्कार के लिए विचार किया जायेगा, जिस कार्य से समाज सेवी महिला सीधे जुड़ी थी और अब भी है। संस्था की समस्त सेवा उपलब्धियों का समाज सेवी महिला के हित में आंकलन नहीं होगा।
- 7.12. चयन समिति के अशासकीय सदस्य स्वयं अपने लिए उस वर्ष के पुरस्कार के लिए प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं कर सकेंगे, जिस वर्ष के लिए वे इसके सदस्य हैं।
8. विभाग के संज्ञान में घटना की जानकारी होने पर ही महिला का चयन किया जायेगा।
9. चयनित महिला को राज्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जायेगा। विकलांग व विशेष परिस्थितियों में वे अपनी सहायता के लिए केवल एक सहायक साथ ला सकेंगे, जिन्हें उन्हीं के साथ यात्रा करने और ठहरने की सुविधा प्राप्त होगी, किन्तु उन्हें यात्रा भत्ता देय के अलावा अन्य कोई भत्ता देय नहीं होगा। चयनित व्यक्ति को रेलगाड़ी में शासन के वरिष्ठ स्तर के अधिकारी ग्रेड-ए के समकक्ष यात्रा की पात्रता होगी एवं प्रथम श्रेणी अधिकारी "ए" ग्रेड के समान यात्रा भत्ता पाने की पात्रता होगी।
- 10. पुरस्कार की घोषणा एवं वितरण:-**
- पुरस्कार की घोषणा 28 फरवरी को एवं पुरस्कार वितरण अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 08 मार्च को किया जायेगा।
- 11. अंलकरण समारोह:-**
- अंलकरण समारोह की तिथि 08 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होगी। अपरिहार्य परिस्थिति होने पर शासन द्वारा अंलकरण समारोह की तिथि निर्धारित की जा सकेगी।
- 12. व्यय की सम्पूर्ति एवं वित्तीय शक्तियां:-**
- इस राज्य स्तरीय पुरस्कार एवं अंलकरण समारोह के संबंधित व्यवस्थाओं पर होने वाले व्यय की पूर्ति हेतु बजट में प्रतिवर्ष समुचित प्रावधान रखा जायेगा एवं राज्य स्तरीय समारोह हेतु स्वीकृत मद पर व्यय के पूर्ण अधिकार आयुक्त, महिला एवं बाल विकास को होंगे, इस हेतु राज्य शासन की औपचारिक स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होगी।

13. नियमों में संशोधन एवं परिवर्तन:-

राज्य शासन महिला एवं बाल विकास विभाग को इन नियमों में आवश्यकता अनुसार संशोधन परिवर्तन करने का अधिकार होगा। इन नियमों में अन्तर्निहित प्रावधानों के संबंध में प्रमुख सचिव/सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग की व्याख्या अधिकृत एवं अंतिम मानी जायेगी, ऐसे मामले जिनका योजना/नियमों में उल्लेख नहीं है, के निराकरण के अधिकार भी प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग को होंगे।

14. पुरस्कार से संबंधित अभिलेखों का रखरखाव:-

राज्य स्तरीय पुरस्कारों के मामले में आयुक्त, महिला एवं बाल विकास म0प्र0 प्रतिवर्ष के पुरस्कार की प्रविष्टियों, चयनित महिला का रिकार्ड एक अलग जिल्द में संधारित करेंगे, चयनित महिला के कार्य आदि के संबंध में समारोह के समय एक विवरणिका जारी की जायेगी, जिसमें इस पुरस्कार का स्वरूप तथा पुरस्कार प्राप्त महिला का अद्यतन विवरण दिया जायेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रश्मि अरूण शमी, प्रमुख सचिव.

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 22 फरवरी 2025

क्र. एफ-7-0001-2023-1-पैसठ.- राज्य शासन, एतद्द्वारा, "मध्यप्रदेश एमएसएमई को औद्योगिक भूमि तथा भवन आवंटन एवं प्रबंधन नियम, 2021" में संलग्न परिशिष्ट-1 के कॉलम 4 अनुसार संशोधन जारी करता है.

2. इस संशोधित नियम का शीर्षक "मध्यप्रदेश एमएसएमई को औद्योगिक भूमि तथा भवन आवंटन एवं प्रबंधन नियम, 2025" होगा.

3. प्रारूप नियम के प्रावधानों में किसी भी प्रकार की लिपिकीय/तकनीकी त्रुटि अथवा विसंगति होने पर मुख्य सचिव की सहमति से संशोधन करने के लिए प्रशासकीय विभाग को अधिकृत किया जाता है.

(2) यह आदेश मंत्रि-परिषद् के आयटम क्रमांक 3, दिनांक 18 फरवरी 2025 में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में जारी किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पंकज शर्मा, उपसचिव.

परिशिष्ट-1
मध्यप्रदेश एमएसएमई को औद्योगिक भूमि भवन आवंटन एवं प्रबंधन नियम, 2021 के प्रावधानों में संशोधन

क्र.	नियम	वर्तमान प्रावधान	संशोधन
1	2	3	4
1	2(31)	वर्तमान में परिभाषित नहीं	<p>संधारण कार्य - से अभिप्राय है औद्योगिक क्षेत्र का संधारण कार्य जिसके अंतर्गत, औद्योगिक क्षेत्र की सफाई व्यवस्था, औद्योगिक क्षेत्र की सड़कों, ड्रेनेज एवं सीवर का संधारण, जल व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट एवं सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्था का संचालन एवं संधारण।</p> <p>ऐसे औद्योगिक क्षेत्र जिनका संधारण उद्योग संघ द्वारा किया जा रहा है, उनमें उद्योग संघ एवं जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र की सहमति से उक्त कार्यों के अतिरिक्त अन्य आवश्यक कार्य।</p> <p>ऐसे औद्योगिक क्षेत्र जिनका संधारण अन्य एजेंसी द्वारा किया जा रहा है, उनमें उक्त कार्यों के अतिरिक्त अन्य आवश्यक कार्य उद्योग संघ, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र तथा एजेंसी की सहमति से किया जायेगा।</p> <p>प्लैटेड इण्डस्ट्रियल एरिया/काम्पलेक्स- से अभिप्राय ऐसा भवन जिसमें एक से अधिक मंजिलें निर्मित हों एवं जिसमें नियम में प्रावधानित औद्योगिक गतिविधियों हेतु पृथक-पृथक स्वतंत्र प्रकोष्ठ हों।</p>
2	2(32)	वर्तमान में परिभाषित नहीं	
3	4(4)	<p>विभाग के आधिपत्य की अविकसित भूमि का आवंटन मध्यम उद्यम को किया जा सकेगा अविकसित भूमि का आवंटन राज्य शासन के अनुमोदन के पश्चात् किया जायेगा। यदि किसी भूमि के लिये एक से अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं तो भूमि का आवंटन "प्रथम आओ प्रथम पाओ" पद्धति से किया जायेगा।</p>	<p>4(4) (i) विभाग के आधिपत्य की अविकसित भूमि का आवंटन मध्यम उद्योग को नियम 12 (ii) में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार किया जा सकेगा। विशेष परिस्थितियों में विशेष प्रकार के यथा श्रम प्रधान /नवीन उच्च तकनीकी / नवाचार / अभिनव उत्पाद /उच्च मूल्य संवर्धन / उच्च संभावितता वाले लघु उद्योगों को भी नियम 12(ii) में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार अविकसित भूमि का आवंटन किया जा सकेगा।</p>

क्र.	नियम	वर्तमान प्रावधान	संशोधन
1	2	3	4
4	9(iv)	<p>क्लस्टर विकास हेतु विभाग के स्वामित्व एवं आधिपत्य की अविकसित भूमि को "परिशिष्ट-डी" में उल्लेखित प्रक्रियानुसार आवंटित एवं विकसित किया जा सकेगा।</p> <p>औद्योगिक क्षेत्रों के संधारण को बनाये रखने की दृष्टि से सक्षम प्राधिकारी/ उद्योग आयुक्त वार्षिक संधारण व्यय का आकलन करेंगे तथा इसे समानुपातिक रूप से कुल आवंटितक्षेत्र पर प्रति वर्गमीटर प्रगणित किया जायेगा। आवंटी द्वारा उसे आवंटित क्षेत्रफल पर वार्षिक संधारण शुल्क देय होगा।</p> <p>"ऐसे औद्योगिक क्षेत्र जिनके निर्वाचित एवं पंजीकृत उद्योग संघ द्वारा स्वयं औद्योगिक क्षेत्र के संधारण हेतु महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, को लिखित में सहमति प्रदान की जाती है, उन औद्योगिक क्षेत्रों के संधारण का कार्य उद्योग संघ को सौंप दिया जायेगा। ऐसे औद्योगिक क्षेत्रों में स्थापित इकाईयों से संधारण शुल्क की राशि शासन द्वारा वसूल नहीं की जावेगी तथा शासन द्वारा ऐसे</p> <p>औद्योगिक क्षेत्रों के संधारण हेतु राशि व्यय नहीं की</p>	<p>4(4) (ii) क्लस्टर विकास हेतु विभाग के स्वामित्व एवं आधिपत्य की अविकसित भूमि को "परिशिष्ट-डी" में उल्लेखित प्रक्रियानुसार आवंटित एवं विकसित किया जा सकेगा।</p> <p>"प्रदेश के विकसित एवं विकसित होने वाले औद्योगिक क्षेत्र जिनके निर्वाचित एवं पंजीकृत उद्योग संघ द्वारा स्वयं औद्योगिक क्षेत्र के संधारण हेतु अभिरुचि प्रदर्शित की जाती है, उन औद्योगिक क्षेत्रों के संधारण का कार्य प्राथमिकता से महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा उद्योग संघ को सौंपा जा सकेगा। ऐसे औद्योगिक क्षेत्रों में उद्योग संघ प्रतिवर्ष संधारण शुल्क के लिये इकाईयों से प्राप्त की जाने वाली राशि (प्रति वर्गमीटर) का निर्धारण कर राशि वसूल सकेंगे।</p> <p>औद्योगिक क्षेत्र जिनमें उद्योग संघ द्वारा संधारण कार्य में अभिरुचि प्रदर्शित नहीं की जाती है के संधारण का कार्य आयुक्त एमएसएमई द्वारा अन्य एजेंसी को दिया जा सकेगा। ऐसे औद्योगिक क्षेत्रों का संधारण कार्य करने वाली एजेंसी प्रतिवर्ष संधारण शुल्क के लिये इकाईयों से प्राप्त की जाने वाली राशि (प्रति वर्गमीटर) का निर्धारण कर राशि वसूल सकेंगे।</p> <p>आयुक्त एमएसएमई को समय समय पर समस्त संधारण कार्य की कार्यप्रणाली एवं गुणवत्ता के निरीक्षण का अधिकार रहेगा एवं वे इस संबंध में आवश्यक निर्देश भी दे सकेंगे।</p>

क्र.	नियम	वर्तमान प्रावधान	संशोधन
1	2	3	4
		जायेगी। उद्योग संघ प्रतिवर्ष संधारण शुल्क के लिये इकाईयों से प्राप्त की जाने वाली राशि का (प्रति वर्गमीटर) का निर्धारण कर राशि वसूल कर सकेंगे।	आवटी द्वारा वार्षिक संधारण शुल्क का भुगतान समय सीमा में नहीं करने की स्थिति में महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा राशि की वसूली भू-राजस्व की तरह की जा सकेगी एवं लीज निरस्त की कार्यवाही की जा सकेगी।
5	12(i)	<p>आवेदनों के निराकरण की प्रक्रिया :- समस्त विकसित एवं विकसित किये जाने वाले औद्योगिक क्षेत्रों में औद्योगिक उपयोग हेतु आवंटित किये जाने वाले भूखंड :- (अ) भू-खण्डों का आवंटन निम्नानुसार पद्धति से किया जायेगा - (i) समस्त विकसित एवं विकसित किये जाने वाले औद्योगिक भूखंडों का आवंटन "प्रथम आओ प्रथम पाओ" की पद्धति से सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल के माध्यम से आवंटित किया जावेगा। इस हेतु निम्नानुसार प्रक्रिया का पालन किया जायेगा-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा प्रत्येक माह के अंत में आवंटन योग्य समस्त भूखंडों की सूची तैयारी की जावेगी। 2. महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा भूखंडों की उक्त सूची का प्रकाशन आगामी माह की 7 तारीख तक विभागीय पोर्टल एवं दो समाचार पत्रों में कराया जायेगा। 	<p>आवेदनों के निराकरण की प्रक्रिया :- समस्त विकसित एवं विकसित किये जाने वाले औद्योगिक क्षेत्रों में औद्योगिक उपयोग हेतु आवंटित किये जाने वाले भूखंड :- (अ) समस्त विकसित एवं विकसित किये जाने वाले औद्योगिक क्षेत्रों में औद्योगिक भू-खण्डों का आवंटन "ई-बिडिंग" से राज्य शासन द्वारा निर्धारित पोर्टल के माध्यम से निम्नानुसार निर्धारित प्रक्रियानुसार किया जावेगा:- 1. ई-बिडिंग पोर्टल पर नवीन भूखण्ड एवं निरस्त भूखण्ड जिनका आधिपत्य विभाग को पुनः प्राप्त हो चुका हो, हेतु प्रत्येक माह के प्रथम 15 दिवस तक (पन्द्रहवें दिवस सायं 5 बजे तक) ऑनलाईन एक्सप्रेसन ऑफ इंटेस्ट प्राप्त किये जायेंगे। 2. प्रत्येक माह के 16 वें दिवस (सार्वजनिक अवकाश होने की स्थिति में अवकाश के अगले दिन) किसी भी भूखण्ड हेतु एकमात्र एक्सप्रेसन ऑफ इंटेस्ट प्राप्त होने पर आवेदक को आवंटन किया जायेगा। किसी भी भूखण्ड हेतु एक से अधिक एक्सप्रेसन ऑफ इंटेस्ट प्राप्त होने पर ई-बिडिंग प्रक्रिया शुरू की जायेगी। 3. ई-बिडिंग प्रक्रिया में जिन भूखण्डों में कोई भी Expression of Interest नहीं आया तो ऐसे भूखण्ड पुनः ई-बिडिंग हेतु उपलब्ध होंगे।</p>

क्र.	नियम	वर्तमान प्रावधान	संशोधन
1	2	3	4
		<p>3. माह की 25 तारीख से आवेदन प्राप्त किये जायेंगे। प्रथम आवेदन प्राप्त होते ही परीक्षण पश्चात् पात्र होने पर आशय पत्र जारी कर दिया जायेगा। जिन भूखण्डों के लिये एक भी आवेदन प्राप्त नहीं होता है वे उस वित्त वर्ष के अंतिम दिनांक तक आवंटन हेतु उपलब्ध रहेंगे।</p> <p>4. जिन भूखण्डों का निष्पादन उक्त पद्धति से हो जाता है, उनको आशय पत्र जारी होने से आगामी 45 दिवस में संपूर्ण शेष राशि जमा करनी होगी। विशेष परिस्थितियों में उद्योग आयुक्त इस अवधि को 15 दिवस और बढ़ा सकेंगे।</p> <p>5. राशि जमा होने की सूचना प्राप्त होने के पश्चात् महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र आवंटी के पक्ष में संबंधित भूखण्ड की लीज संपादित करेगा।</p> <p>6. लीज संपादन की प्रक्रिया आवंटन आदेश से अधिकतम 60 दिवस में सम्पन्न करनी होगी। उक्त अवधि को उचित कारणों के आधार पर संचालनालय द्वारा 30 दिवस बढ़ाया जा सकेगा।</p> <p>औद्योगिक भू-खण्डों के लिये नीलामी को प्रथम आओ प्रथम पाओ से प्रतिस्थापित किया जाये।</p>	<p>4. नीलामी पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों का तकनीकी परीक्षण एक समिति द्वारा किया जायेगा। तकनीकी रूप से पात्र आवेदक ही नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने हेतु पात्र होंगे। नीलामी की तिथि एवं समय से आवेदकों को नीलामी पोर्टल के माध्यम से सूचित किया जायेगा।</p> <p>5. ई-बिडिंग प्रक्रिया में भूखण्ड हेतु बेस प्राईस से अधिक राशि बिड करने का प्रावधान होगा। भूखण्ड हेतु बेस प्राईस प्रचलित प्रब्याजी तथा विकास शुल्क के योग के बराबर होगा। न्यूनतम बिड राशि बेस प्राईज के अतिरिक्त राशि रु.50,000/- होगी, तदोपरांत राशि रु.10,000/- के गुणज में बिड राशि बढ़ायी जा सकेगी। ई-बिडिंग प्रारंभ होने से समाप्त होने तक प्रक्रिया का सम्पूर्ण विवरण . ई-बिडिंग पोर्टल पर उपलब्ध कराया जायेगा।</p> <p>6. उच्चतम बिड करने वाले सफल आवेदक को भूखण्ड का आवंटन किया जायेगा। जिसके पक्ष में नियम 13 अनुसार भू-खण्ड आवंटन की कार्यवाही की जायेगी। भू-भाटक की गणना बेस प्राईज की प्रब्याजी पर की जायेगी। असफल आवेदकों (बिडर) द्वारा जमा की गई राशि(आवेदन शुल्क छोड़कर) वापस कर दी जायेगी।</p> <p>7. सफल आवेदक द्वारा नियम 13 में निर्धारित समय सीमा में कार्यवाही नहीं करने की स्थिति में सफल आवेदक का दावा समाप्त हो जायेगा एवं आवेदन के साथ जमा संपूर्ण राशि राजसात हो जावेगी। ऐसे भू-खण्ड के लिए पुनः ई-बिडिंग की प्रक्रिया की जायेगी।</p> <p>8. यदि किसी आवेदक द्वारा एक से अधिक भू-खण्डों हेतु आवेदन किया जाता है तो बिडिंग प्रक्रिया से पूर्व निम्नलिखित समिति द्वारा प्रकरण पर विचार किया जायेगा-</p> <p>1. आयुक्त एमएसएमई</p>

क्र.	नियम	वर्तमान प्रावधान	संशोधन
1	2	3	4
			<p>2. अपर सचिव/उप सचिव म.प्र.शासन सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग</p> <p>3. महा प्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र- संबंधित विचारोपरांत समिति द्वारा निर्णय लिया जायेगा कि भू-खण्डों के आवंटन की प्रक्रिया भू-खण्डों के समूह के रूप में किया जाना है अथवा पृथक-पृथक भू-खण्ड के रूप में।</p> <p>9. किसी भी स्तर पर निविदा प्रक्रिया तथा भू-आवंटन की कार्यवाही को स्थगित अथवा निरस्त किये जाने हेतु राज्य शासन सक्षम होगा तथा आवंटकों द्वारा जमा की गई समस्त राशियां वापिस की जायेंगी। ई-बिडिंग हेतु नीतिगत प्रक्रिया का निर्धारण राज्य शासन द्वारा किया जा सकेगा। नियम में विकसित एवं विकसित किये जाने वाले औद्योगिक भू-खण्डों एवं के संबंध में प्रयुक्त "प्रथम आओ प्रथम पाओ" को "इलेक्ट्रॉनिक नीलामी" से प्रतिस्थापित किया जाये।</p>
6	12(ii)	<p>अविकसित भूमि का आवंटन- आवंटन योग्य अविकसित भूमि की जानकारी विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित की जायेगी। मध्यम उद्यम द्वारा वेबसाइट पर प्रदर्शित भूमि में से उसकी आवश्यकतानुसार अविकसित भूमि आवंटन हेतु सुसंगत दस्तावेजों के साथ आवेदन जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में प्रस्तुत किया जायेगा। महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा प्रकरण का परीक्षण कर नियम 6 अनुसार आवश्यक भूमि की मात्रा का निर्धारण कर अभिमत सहित प्रस्ताव उद्योग संचालनालय को प्रेषित किया जायेगा। उद्योग</p>	<p>अविकसित भूमि का आवंटन- अविकसित भूमि के आवंटन हेतु निम्नानुसार प्रक्रिया का पालन किया जायेगा-</p> <p>1. विभाग के आधिपत्य की आवंटन योग्य अविकसित भूमि हेतु पात्र औद्योगिक इकाई द्वारा शासन द्वारा निर्धारित पोर्टल पर निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन एवं चेकलिस्ट के अनुसार अन्य अभिलेख तथा निर्धारित आवेदन शुल्क एवं अन्य शुल्क सहित आवेदन किया जायेगा।</p> <p>2. अविकसित भूमि हेतु आवेदन शुल्क निम्नानुसार होगा जो वापिसी योग्य नहीं होगा-</p>

क्र.	नियम	वर्तमान प्रावधान	संशोधन																		
1	2	3	4																		
	<p>संचालनालय द्वारा राज्य शासन को प्रस्ताव प्रस्तुत किया जायेगा। राज्य शासन द्वारा गुण दोष के आधार भूमि आवंटन का निर्णय लिया जायेगा। राज्य शासन के अनुमोदन के पश्चात् भूमि आवंटन की कार्यवाही महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा की जायेगी।</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="263 739 454 851">क्र.</th> <th data-bbox="263 851 454 1064">भूमि का क्षेत्रफल</th> <th data-bbox="263 1064 454 1164">आवेदन शुल्क(राशि रु.में)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="454 739 606 851">1</td> <td data-bbox="454 851 606 1064">02 हेक्टेयर तक</td> <td data-bbox="454 1064 606 1164">20000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="606 739 710 851">2</td> <td data-bbox="606 851 710 1064">02 हेक्टेयर से अधिक 05 हेक्टेयर तक</td> <td data-bbox="606 1064 710 1164">50000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="710 739 813 851">3</td> <td data-bbox="710 851 813 1064">05 हेक्टेयर से अधिक 10 हेक्टेयर तक</td> <td data-bbox="710 1064 813 1164">100000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="813 739 917 851">4</td> <td data-bbox="813 851 917 1064">10 हेक्टेयर से अधिक 20 हेक्टेयर तक</td> <td data-bbox="813 1064 917 1164">200000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="917 739 1021 851">5</td> <td data-bbox="917 851 1021 1064">20 हेक्टेयर से अधिक</td> <td data-bbox="917 1064 1021 1164">500000</td> </tr> </tbody> </table>	क्र.	भूमि का क्षेत्रफल	आवेदन शुल्क(राशि रु.में)	1	02 हेक्टेयर तक	20000	2	02 हेक्टेयर से अधिक 05 हेक्टेयर तक	50000	3	05 हेक्टेयर से अधिक 10 हेक्टेयर तक	100000	4	10 हेक्टेयर से अधिक 20 हेक्टेयर तक	200000	5	20 हेक्टेयर से अधिक	500000	<p>3. पोर्टल पर प्राप्त आवंटनों का परीक्षण निम्नानुसार गठित समिति द्वारा किया जायेगा-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. आयुक्त एमएसएमई 2. अपर सचिव/उप सचिव म.प्र.शासन सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग 3. महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र- संबंधित 4. समिति की अनुशंसा पर भूमि आवंटन की अनुमति राज्य शासन के अनुमोदन के पश्चात आयुक्त एमएसएमई द्वारा दी जायेगी। अनुमति उपरांत आवंटी के पक्ष में नियम 13 अनुसार भूमि आवंटन की प्रक्रिया की
क्र.	भूमि का क्षेत्रफल	आवेदन शुल्क(राशि रु.में)																			
1	02 हेक्टेयर तक	20000																			
2	02 हेक्टेयर से अधिक 05 हेक्टेयर तक	50000																			
3	05 हेक्टेयर से अधिक 10 हेक्टेयर तक	100000																			
4	10 हेक्टेयर से अधिक 20 हेक्टेयर तक	200000																			
5	20 हेक्टेयर से अधिक	500000																			

क्र.	नियम	वर्तमान प्रावधान	संशोधन
1	2	3	4
7	(15) (ii)	<p>पट्टाग्रहिता को निम्नलिखित समयावधि में जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र को लिखित में (ऑनलाइन माध्यम से) सूचित करना होगा कि आवंटित भूखण्ड पर प्रस्तावित परियोजनानुसार यंत्र एवं संयंत्र पर न्यूनतम 25 प्रतिशत का पूंजीनिवेश किया गया है तथा इकाई उत्पादन हेतु तैयार है -</p> <p>(अ) सूक्ष्म एवं लघु उद्योग के मामले में एक वर्ष छः माह एवं दो वर्ष के मध्य</p> <p>(ब) मध्यम उद्योग के प्रकरणों में दो वर्ष छः माह एवं तीन वर्ष के मध्य</p> <p>(स) वृहद उद्योग के प्रकरणों में तीन वर्ष छः माह एवं चार वर्ष के मध्य</p>	<p>जायेगी। भू-भाटक की गणना मूल प्रब्याजी पर की जायेगी। असफल आवेदकों द्वारा जमा की गई राशि (आवेदन शुल्क छोड़कर) वापस कर दी जायेगी।</p> <p>आवेदक द्वारा नियम 13 में निर्धारित समय सीमा में कार्यवाही नहीं करने की स्थिति में आवेदक का दावा समाप्त हो जायेगा एवं आवेदन के साथ जमा संपूर्ण राशि राजसात हो जावेगी।</p> <p>5. किसी भी स्तर पर भू-आवेदन की कार्यवाही को स्थगित अथवा निरस्त किये जाने हेतु राज्य शासन सक्षम होगा तथा आवेदकों द्वारा जमा की गई समस्त राशियां वापिस की जायेंगी।</p> <p>पट्टाग्रहिता को निम्नलिखित समयावधि में जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र को लिखित में (ऑनलाइन माध्यम से) साक्ष्य सहित सूचित करना होगा कि -</p> <p>(अ) सूक्ष्म एवं लघु उद्योग के मामले में एक वर्ष में सूचित करना होगा कि इकाई स्थापना हेतु प्रभावी कार्यवाही जैसे आवश्यक अनुमतियां प्राप्त करना, वित्तीय व्यवस्था करना इत्यादि प्रारंभ कर दी गई है, तथा 1 वर्ष 6 माह में सूचित करना होगा कि इकाई में प्रस्तावित परियोजनानुसार न्यूनतम 25 प्रतिशत का पूंजी निवेश किया गया है।</p> <p>(ब) मध्यम उद्योग के मामले में दो वर्ष में सूचित करना होगा कि इकाई स्थापना हेतु प्रभावी कार्यवाही जैसे आवश्यक अनुमतियां प्राप्त करना, वित्तीय व्यवस्था करना इत्यादि प्रारंभ कर दी गई है, तथा 2 वर्ष 6 माह में सूचित करना होगा कि इकाई में प्रस्तावित परियोजनानुसार न्यूनतम 25 प्रतिशत का पूंजी निवेश किया गया है।</p> <p>(स) वृहद उद्योग के मामले में तीन वर्ष में सूचित करना होगा कि इकाई</p>

क्र.	नियम	वर्तमान प्रावधान	संशोधन
1	2	3	4
8	18(ब)(i)	हस्तांतरण की अनुमति निम्न शर्तों के अधीन होगी- आवंटी इकाई को भूमि आवंटन के समय प्रस्तुत परियोजना की कम से कम 25 प्रतिशत स्थाई पूंजी (भूमि के मूल्य को छोड़कर) का निवेश हो।	<p>स्थापना हेतु प्रभावी कार्यवाही जैसे आवश्यक अनुमतियां प्राप्त करना, वित्तीय व्यवस्था करना इत्यादि प्रारंभ कर दी गई है तथा 3 वर्ष 6 माह में सूचित करना होगा कि इकाई में प्रस्तावित परियोजनानुसार न्यूनतम 25 प्रतिशत का पूंजी निवेश किया गया है।</p> <p>अन्यथा की स्थिति में इकाई के विरुद्ध नियमानुसार निरस्तीकरण की कार्यवाही की जा सकेगी।</p> <p>हस्तांतरण की अनुमति निम्न शर्तों के अधीन होगी- आवंटी इकाई पूर्व में उत्पादन में रही हो अथवा आवंटी इकाई को भूमि आवंटन के समय प्रस्तुत मूल परियोजना राशि (भूमि के मूल्य को छोड़कर) का कम से कम 50 प्रतिशत स्थाई पूंजी निवेश किया गया हो जिसमें प्लॉट एवं मशीनरी में न्यूनतम 25 प्रतिशत स्थायी पूंजी निवेश अनिवार्य है। बाउण्ड्रीवाल, सडक, नाली इस प्रयोजन हेतु मान्य नहीं होंगे।</p> <p>आयुक्त एमएसएमई विशेष परिस्थितियों यथा वित्तीय संस्था के ऋण भुगतान नहीं करने पर आस्तियों के नीलामी के पश्चात्, मूल आवंटी की मृत्यु होने पर, कंपनी का परिसम्पान होने पर अथवा अन्य आकस्मिक परिस्थितियों इत्यादि में इकाई विशेष के लिए उक्त शर्त को शिथिल कर हस्तांतरण की अनुमति प्रदान कर सकेंगे।</p> <p>हस्तांतरण आवंटन का निराकरण आवंटन प्राप्ति के 30 दिवस में किया जावेगा।</p>
9	23(अ)		<p>फ्लैटेड इण्डस्ट्रियल एरिया / काम्पलेक्स में प्रकोष्ठों का आवंटन - फ्लैटेड इण्डस्ट्रियल एरिया / काम्पलेक्स का निर्माण किया जाकर प्रकोष्ठों का आवंटन ई-बिडिंग प्रक्रिया से किया जायेगा। ई-बिडिंग प्रक्रिया, बेस प्राइस, संधारण प्रक्रिया एवं अन्य शर्तों का निर्धारण समय-समय पर राज्य शासन</p>

क्र.	नियम	वर्तमान प्रावधान	संशोधन
1	2	3	4
10	44 (2)	<p>महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के द्वारा पारित मूल पारित मूल निरस्तीकरण आदेश के विरुद्ध प्रथम अपील उद्योग आयुक्त के समक्ष की जावेगी तथा प्रथम अपील में पारित आदेश के विरुद्ध द्वितीय अपील मध्यप्रदेश शासन, सूक्ष्म, लघु और मध्यम विभाग के समक्ष की जा सकेगी।</p>	<p>द्वारा किया जायेगा।</p> <p>महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के द्वारा पारित मूल निरस्तीकरण आदेश के विरुद्ध प्रथम अपील आयुक्त एमएसएमई अथवा उनके द्वारा नामांकित अधिकारी के समक्ष की जावेगी तथा प्रथम अपील में पारित आदेश के विरुद्ध द्वितीय अपील म.प्र.शासन सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग के समक्ष की जा सकेगी।</p>

भोपाल, दिनांक 24 फरवरी 2025

क्रमांक: एफ 7/0001/2023/1-65: राज्य शासन एतद द्वारा समसंख्यक आदेश दिनांक 22 फरवरी 2025 से "मध्यप्रदेश एमएसएमई को औद्योगिक भूमि तथा भवन आवंटन एवं प्रबंधन नियम 2025" जारी किये गये हैं।

उक्त नियम दिनांक 24 फरवरी 2025 से प्रभावशील माने जायेगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पंकज शर्मा, उपसचिव.